उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-28/3377/26-1-2013-सक-1

लखनऊ : दिनांक : 27 नवम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में योजित अवमाननावाद संख्या-1774(सी)/2013,डा0 घनश्याम लाल बनाम श्री संजीव दूबे, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21-10-2013 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये:-

"It is the conceded position that representatoin of the petitioner has been decided.

Learned counsel appearing for the petitioner states that Additional Director has decided the representation of the petitioner and not the competent authority. The Government would be the appropriate authority.

Shri Lalit Shukla, learned Additional Chief Standing Counsel, prays for time.

List this case on 28th of November,2013."

2- प्रश्नगत अवमाननावाद मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-208(एस0बी0)/2013 डा0 घनश्याम लाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20-02-2013 के अनुपालन हेतु योजित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-208(एसबी)/2013 में दिनांक 20-02-2013 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये थे:-

"We dispose of the writ petition finaly directing the competent authority to decide the representations of the petitioner in accordance with law by passing a speaking and reasoned order expeditiously say, within three months from the date of receipt of a certified copy of this order and communicate decision. While deciding representations, the competent authority shall also consider petitioner's claim with regard to payment of interest of account of delayed payment of the post retrial dues."

The writ petition is finally disposed of.

3- उल्लेखनीय है कि अपने सेवानिवृत्त देयकों व अन्य लम्बित देयकों के भुगतान हेतु याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-208(एसबी)/2013 डा0 घनश्याम लाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 20-02-2013 को उक्त आदेश पारित किये गये थे। उल्लेखनीय है कि याची राजपत्रित पद पर कार्यरत था, जिसका नियुक्ति प्राधिकारी शासन हैं, किन्तु विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित अधिकारियों के सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान चूँकि विभागाध्यक्ष निदेशक, जनजाति विकास के स्तर से किया जाता है तथा मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश में याची के प्रत्यावेदन को निस्तारित किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को निदेशित किया गया था एवं चूँकि याची के

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रत्यावेदन सेवानिवृत्त/अन्य लम्बित देयकों के भुगतान से संबंधित थे, तद्क्रम में निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निदेशित किया गया कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के समादर में याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करें।

4- निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा दिनांक 29-08-2013 को याची के प्रत्यावेदन दिनांक 24-12-2011 व 01-02-2013 को निस्तारित किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर याची द्वारा प्रश्नगत अवमाननावाद योजित किया गया, जिसकी सुनवाई करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 21-10-2013 को पारित आदेश में याची के प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु शासन के सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है। निदेशक, जनजाति विकास विभाग/जिला समाज कल्याण अधिकारी/प्रभारी, परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, लखीमपुरखीरी से प्राप्त आख्यानुसार याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 24-12-2011 एवं 01-02-2013 में मुख्य रूप से निम्नलिखित देयकों के भुगतान का अनुरोध किया गया है:-

1- दक्षतारोक पार होने से बढ़ी हुई वेतनवृद्धि की अवशेष धनराशि।
2- पंचम वेतनमान के निर्धारण की अवशेष धनराशि रू0 10,41,872/-
3- छठे वेतनमान के निर्धारण की अवशेष धनराशि रू0 15,01,026/-
4- माह फरवरी, 2011, माह जून, 2011 तथा माह फरवरी, 2012 के साथ-साथ माह मई 2011 के 15 दिन के वेतन की धनराशि रू0 2,72,755/-
5- अवकाश नकदीकरण रू0 7,78,000/-
6- ग्रेच्युटी रू0 10,00,000/-
7- पेंशन का राशिकरण रू0 12,48,000/-
8- दिनांक 01-03-2012 से 31-01-2013 तक रू0 18,720/- प्रतिमाह की दर से 11 माह के अवशेष धनराशि का भुगतान रू0 2,00,920/-
9- जी0पी0एफ0 में जमा धनराशि रू0 1,35,664/-
10- ग्रुप इंश्योरेंस की धनराशि रू0 1,50,000/-
11- नियमित पेंशन।
12- जिन धनराशियों का भुगतान नहीं हो सका है,उन पर 18 प्रतिशत की दर से धनराशि का भुगतान।

5- याची के उपर्युक्त अनुरोध के संबंध में निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुर खीरी/प्रभारी परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी खीरी की आख्या दिनांक 29-08-2013 को प्राप्त की गयी एवं शासन द्वारा परियोजना अधिकारी की आख्या दिनांक 22-11-2013 को प्राप्त की गयी। उक्त आख्या के अनुसार याची के अनुरोध के संबंध में बिन्दुवार वस्तुस्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

1- दक्षतारोक पार होने से बढ़ी हुई वेतनवृद्धि की अवशेष धनराशि रू0 11,500/- होती है।
2- बिन्दु संख्या-2 में याची द्वारा पंचम वेतनमान के निर्धारण की अवशेष धनराशि रू0 10,41,872/- दर्शायी गयी है, जबकि वास्तव में उक्त मद में रू0 11,50,600/- की धनराशि देय है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- बिन्दु संख्या-3 में छठे वेतनमान के निर्धारण की अवशेष धनराशि याची द्वारा रू0 15,01,026/- दर्शायी गयी है, जबकि वास्तव में उक्त मद में रू0 9,40,800/- की धनराशि देय है।

4- बिन्दु संख्या-4 में याची द्वारा फरवरी, 2011 से जून, 2011 तक फरवरी, 2012 एवं माह मई, 2011 के 15 दिन के अवशेष वेतन की कुल धनराशि रू0 2,73,755/- दर्शायी गयी है, जबकि वास्तव में यह धनराशि रू0 1,90,461/- होती है। इस धनराशि का अंतरण याची के भारतीय स्टेट बैंक शाखा चन्दनचौकी में खुले खातें में दिनांक 23-08-2013 को कर दिया गया है।

5- बिन्दु संख्या-5 में याची द्वारा नगदीकरण की अवशेष धनराशि रू0 7,78,000/- दर्शायी गयी है, जबकि वास्तव में उक्त मद में याची को रू0 5,81,460/- की धनराशि देय थी। इस धनराशि का अंतरण याची के खाते में दिनांक 23-08-2013 को कर दिया गया है।

6- बिन्दु संख्या-6 में याची द्वारा ग्रेच्युटी की अवशेष धनराशि रू0 10,00,000/- दर्शायी गयी है, जबकि ग्रेच्युटी के रूप में याची को रू0 4,65,168/- की ही धनराशि की देयता पायी गयी है। इस धनराशि का भुगतान अपर निदेशक(कोषागार एवं पेंशन) कैलाश कुंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ की स्वीकृति के उपरान्त कोषागार लखनऊ से भुगतान की जायेगी।

7- बिन्दु संख्या-7 में याची द्वारा पेंशन के राशिकरण की धनराशि रू0 12,48,000/- अंकित की गयी है, जबकि वास्तव में इस मद में रू0 5,74,602/- की धनराशि की देयता पायी गयी है, जो अपर निदेशक(कोषागार एवं पेंशन) कैलाश कुंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ की स्वीकृति के उपरान्त कोषागार लखनऊ से भुगतान की जायेगी।

8- बिन्दु संख्या-8 में याची द्वारा दिनांक 01-03-2012 से दिनांक 31-01-2013 तक रू0 18,720/- प्रतिमाह की दर से 11 माह के पेंशन की अवशेष धनराशि रू0 2,00,920/- के भुगतान का अनुरोध किया गया है, जबकि इस मद में रू0 2,73,875/- की धनराशि याची को देय है, जो अपर निदेशक(कोषागार एवं पेंशन) कैलाश कुंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ की स्वीकृति के उपरान्त कोषागार लखनऊ से भुगतान की जायेगी।

9- बिन्दु संख्या-9 में याची द्वारा जी0पी0एफ0 की धनराशि रू0 1,35,664/- अंकित किया गया हे, जो परीक्षण में सही पाया गया है, इस धनराशि का 90 प्रतिशत भाग अर्थात रू0 1,20,000/- का भुगतान कर दिया गया है। शेष 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का प्रस्ताव कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा गया है। महालेखाकार की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त इस धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

10- बिन्दु संख्या-10 में याची द्वारा ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में रू0 1,50,000/- की धनराशि दर्शायी गयी हे, जबकि इस मद में रू0 21,552/- की ही धनराशि की देयता पायी गयी। तद्नुसार कोषागार, लखीमपुरखीरी द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से रू0 21,552/- की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक चन्दनचौकी लखीमपुरखीरी में याची के खुले खाते में दिनांक 29-10-2013 को अन्तरित की जा चुकी है।

11- बिन्दु संख्या-11 में याची द्वारा नियमित पेंशन के भुगतान का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में रू0 14,096/-प्लस राहत बनाकर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अपर निदेशक(कोषागार एवं पेंशन) कैलाश कुंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ को स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जिसमें उनके द्वारा कतिपय आपत्तियॉ लगाते हुए दिनांक 20-10-2013 को वापस भेज दिया गया था। आपत्तियों का निराकरण करते हुए पुन: दिनांक 22-11-2013 को प्रस्ताव भेजा गया है।

12- बिन्दु संख्या-12 में याची द्वारा जिन धनराशियों का भुगतान नहीं हो सका है, उन पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में याची का दावा औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया, क्योंकि देयकों के भुगतान में परिस्थितिजन्य कारणों से विलम्ब हुआ है।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- याची के सेवानिवृत्त देयकों व कतिपय अन्य देयकों की स्वीकृति की कार्यवाही में तत्कालीन परियोजना अधिकारी द्वारा अपेक्षित रूचि न लेने व प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण याची के देयकों के भुगतान में विलम्ब हुआ। उक्त विलम्ब एवं कतिपय अन्य अनियमितताओं के लिए तत्कालीन परियोजना अधिकारी श्री डी0एन0 सिंह से परियोजना का प्रभार हटाकर जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी को दिनांक 16-08-2013 को दिया गया एवं श्री सिंह के विरूद्ध दिनांक 14-08-2013 को अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र भी निर्गत किया गया।

7- इस प्रकार अभी याची के देयकों के भुगतान के संबंध में कार्यवाही गतिमान है। याची द्वारा ऑकलित एवं परीक्षणोपरान्त सही पायी गयी धनराशि व अब तक भुगतान की गयी धनराशि की स्थिति इस प्रकार है:-

क्र0	लम्बित भुगतान मद	याची का ऑकलन(रू0)	परीक्षणोपरान्त ऑकलित धनराशि (रू0)	भुगतान	लम्बित धनराशि (रू0)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	दक्षतापार की धनराशि	-	11,500	-	11,500	
2	पंचम वेतनमान की अवशेष धनराशि	10,41,872	11,50,600	-	11,50,600	
3	छठे वेतनमान की अवशेष धनराशि	15,01,026	9,40,800	-	9,40,800	
4	फरवरी 2011, जून 2011, फरवरी 2012 एवं माह मई 2011 के 15 दिन का वेतन	2,73,755	1,90,461	1,90,461	-	दि0 23-08-13 को धनराशि याची के खाते में अंतरित
5	अवकाश नगदीकरण	7,78,000	5,81,460	5,81,460	-	-तदैव-
6	ग्रेच्युटी	10,00,000	4,65,168	-	4,65,168	पेंशन निदेशालय को प्रेषित
7	पेंशन का राशिकरण	12,48,000	5,74,602	-	5,74,602	-तदैव-
8	01 मार्च,2012 से 31-03-13 तक 11 माह का लम्बित भुगतान	2,00,920	2,73,875	-	2,73,875	-तदैव-
9	जी0पी0एफ0 का भुगतान	1,35,664	1,35,664	1,20,000	15,664	10 प्रतिशत हेतु ए0जी0 को प्रेषित
10	ग्रुप इंश्योरेंस का भुगतान	1,50,000	21,552	21,552	-	
	योग	**63,29,237**	**43,45,682**	**9,13,473**	**34,32,209**	

इस प्रकार उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि याची द्वारा अपने सेवानिवृत्त व अन्य लम्बित देयकों के भुगतान हेतु रू0 63,29,237/- की धनराशि का ऑकलन करते हुए इसके भुगतान का अनुरोध किया गया है। याची की उक्त मॉग के संबंध में जिला समाज कल्याण

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी, लखीमपुरखीरी/प्रभारी परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दनचौकी खीरी से प्राप्त आख्या के अनुसार याची द्वारा इंगित धनराशि रू0 63,29,237/- के सापेक्ष रू0 43,45,682/- की ही देयता पायी गयी है। लम्बित देयता के सापेक्ष रू0 9,13,473/- की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा रू0 13,29,309/- की धनराशि के भुगतान का प्रस्ताव पेंशन निदेशालय/महालेखाकार, उ0प्र0 को प्रेषित है तथा अपेक्षित बजट के अभाव में रू0 21,02,900/- का भुगतान अवशेष है। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दनचौकी खीरी के लिए अनुपूरक मॉग के माध्यम से करायी गयी बजट व्यवस्था के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1702/26-3-2013-10(8)/2013, दिनांक 22-11-2013 द्वारा रू0 60,00,000/- की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है, जिससे याची की अवशेष धनराशि रू0 21,02,900/- के भुगतान हेतु निदेशक, जनजाति विकास विभाग को निदेशित कर दिया गया है।

तद्नुसार याची के प्रत्यावेदन दिनांक 24-12-2011 एवं 01-02-2013 एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते हैं।

के0राम मोहन राव
सचिव।

पृ0सं0-28/3377(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-एन/3218/सिविल/2013, दिनांक 27-10-2013 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में शपथ-पत्र दाखिल किये जाने हेतु 01 माह का समय प्रदान करने का अनुरोध मा0 न्यायालय से करने का कष्ट करें।

2- निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 22-11-2013 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 60,00,000/- के सापेक्ष याची डा0 घनश्याम लाल, सेवानिवृत्त, चिकित्साधिकारी, जनजाति विकास के सेवानिवृत्त देयकों से संबंधित अवशेष धनराशि रू0 21,02,900/- का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें।

3- डा0 घनश्याम लाल, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, लखीमपुरखीरी द्वारा निदेशक, जनजाति विकास विभाग।

4- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in